न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/2025

बउनवान

कातिबाई पुत्री औकार जाति चमार आयु 70 साल निवाली–शाहाबाद दरवाजा बाग बस्ती बारां तहसील बारां जिला बारां राज0 मो० 9982195690 **अपीलाण्ट**

बनाम

1. राज सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां
2. जमुनाबाई पत्नी रामचरण आयु 60 साल जाति बैरवा निवासी कुम्हारों का मोहल्ला तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 मो० 080786 12450 **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार मांगरोल आदेश दिनांक 17–6–2025 इत्काल नं. 3664

उपस्थितः 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (रेस्पोडेण्ट)

निर्णय दिनांक 10.11.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। ग्राम मांगरोल में खसरा नंबर 2052 रकबा 6 बी. 5 बि भूमि अपीलांट के खाते की है दोराने सेटलमेंट नये खसरा नंबर 1319 रकबा 0.07, खसरा नंबर 1320 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 1321 रकबा 0.28 है., खसरा नंबर 1312/4752 रकबा 0.13 है. कुल किता 4 रकबा 0.73 है. दर्ज है जो गत रकबे से 0.27 है. कम दर्ज किया गया है। जिसे दुरुस्त किया जावे। हल्का पटवारी रामचरण रेस्पो0 कम 2 जमनाबाई का पति होने से उसके द्वारा मिलीभगत कर अपीलाण्ट के खाते की आराजियात मे से गलत तथ्यो के आधार पर 0.16 है भूमि इस इंतकाल के जरिये दर्ज करवा ली है जिसका उसे कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नही था इस कारण इंतकाल खारिज होंने योग्य है। जमनाबाई द्वारा प्रस्तुत अपील संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष अपीलाण्ट का पता गलत दर्ज कर दिया व पता नही कब इंतकाल खुलवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इंतकाल नं. 3664 दिनांक 17–6–25 को निरस्त फरमाया जाकर आराजी को पुनः अपीलांट के खाते दर्ज फरमायी जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस उभयपक्ष हेतु नियत किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2 ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने इसी न्यायालय में 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो मि०नं० 800/99 पर दर्ज किया जाकर तहसीलदार मॉगरोल से रिपोर्ट तलब की जाकर दिनांक 25/8/1999 को निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया कि "रेस्पो० जमनाबाई पत्नि रामचरण जाति बैरवा निवासी मॉगरोल की आराजी खसरा नंबर 1324 रकबा 0.78 हेक्टेयर मे से 0.16 हेक्टेयर कम करके अपीलान्ट कांतिबाई पुत्री औंकार के खाते मे दर्ज की जावे। दोनों का खाता कस्बा मॉगरोल तह० मॉगरोल मे स्थित है"। उक्त प्रार्थना पत्र कान्तिबाई बनाम राज० सरकार अंतर्गत धारा 136 ... रेस्पो० जमनाबाई पक्षकार नही थी। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25/8/1999 की पालना में तहसीलदार मॉगरोल ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:07 IST
Reason: SelfAttested

1319 रकबा 0.07, खसरा नंबर 1320 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 1321 रकबा

दिनांक 01/07/2000 को इन्तकाल नं0 440 तस्दीक करते हुए रेस्पो० जमनाबाई के खाते मे से 0.16 हेक्टेयर भूमि कम करते हुए अपी० कांतिबाई के खाते दर्ज कर दी गई। जिसका नोट इन्त० नं0 440 पर दर्ज हो रहा है। रेस्पो० जमनाबाई अपनी आराजी की रिकार्डेड खातेदार थी और इस न्यायालय ने रेस्पो० जमनाबाई को सुनवायी का मौका नही दिया इस पर रेस्पो० ने न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त, संभाग कोटा में इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की जिस पर न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महोदय कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 28/01/2015 से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25/08/1999 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः इस सम्माननीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया और आदेश दिया कि उभय पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया जावे। न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महोदय कोटा से पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की और प्रकरण धारा 136 ले०ने० एक्ट का होने से न्यायालय उप–खंड अधिकारी मॉगरोल को विधिवत सुनवायी के लिए दिनांक 30/05/2019 को मूल पत्रावली क्र० 1/2015 विधिवत सुनवायी हेतु न्यायालय उपखंड अधिकारी, मॉगरोल को भिजवा दी। मूल पत्रावली क्र. 1/2015 बउनवान कांतिबाई बनाम राज० सरकार, जमनाबाई न्यायालय उपखंड अधिकारी मॉगरोल को प्राप्त होने के उपरांत भी आज तक न तो पत्रावली को पुनः दर्ज किया और ना ही उभय पक्षो को तलब किया गया। पत्रावली जैसे आयी थी वैसे ही न्यायालय के रिकार्ड रूम मे रखी हुई है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 28/01/2015 से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25/8/1999 अपास्त कर दिए जाने से इस न्यायालय के निर्णय से जो इन्तकाल दर्ज किया गया था वह इन्तकाल नंबर 440 निरस्त हो गया। इस बाबत भी रेस्पो० जमनाबाई ने तहसीलदार मॉगरोल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया था कि न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महोदय कोटा ने जिला कलक्टर महो० बारां का निर्णय 25/8/1999 निरस्त फरमा दिया है इसलिए कांतिबाई के पक्ष मे खोला गया इन्तकाल नंबर 440 भी निरस्त हो गया है लिहाजा राजस्व रिकार्ड की स्थिति पुनः बहाल की जाकर रेस्पो० के पक्ष मे इन्तकाल दर्ज किया जावे। समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त तहसीलदार मॉगरोल ने न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महो० कोटा के निर्णय की पालना मे रेस्पो० जमनाबाई के पक्ष मे इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो विधि सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णतया विधि-विरूद्ध है क्योकि अपी० को मूल पत्रावली क्र0 1/2015 जो न्यायालय उपखंड अधिकारी मॉगरोल मे है उक्त पत्रावली मे जिला कलक्टर महो० बारां के आदेशानसार कार्यवाही करनी चाहिए थी और कार्यवाही करके अपने पक्ष मे निर्णय या आदेश प्राप्त करना चाहिए था लेकिन अपी० मूल पत्रावली में तो कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती और रेस्पो० के पक्ष मे जो विधिनुसार इन्तकाल तस्दीक किया गया है उसकी अपील की है जो कि कानून के विरूद्ध है। यदि अपीलान्ट को अपील ही करनी थी तो माननीय न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महो० कोटा के निर्णय दिनांक 28/01/2015 के विरूद्ध करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा न करके अपी० ने जो अपील की है वह प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मांगरोल की खसरा नंबर 2052 रकबा 6 बी. 5 बि भूमि अपीलांट के खाते की है दोराने सेटलमेंट नये खसरा नंबर 1319 रकबा 0.07, खसरा नंबर 1320 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 13[illegible] रकबा 0.28 है., खसरा नंबर 1312/4752 रकबा 0.13 है. कुल किता 4 रकबा 0.73 है. दर्ज [illegible] जो गत रकबे से 0.27 है. कम दर्ज किया गया है। हल्का पटवारी [illegible] रेस्पो० [illegible] जमनाबाई का पति होने से उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:07 IST
Reason: SelfAttested

1319 रकबा 0.07, खसरा नंबर 1320 रकबा 0.25है, खसरा नंबर 13[illegible]

द्वारा मिलीभगत कर अपीलाण्ट के खाते की आराजियात मे से गलत तथ्यो के आधार पर 0.16 है भूमि इस इंतकाल के जरिये दर्ज करवा ली है जिसका उसे कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नही था। अतः उक्त इंतकाल खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस रेस्पोडेन्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को मूल पत्रावली क0 1/2015 जो न्यायालय उपखंड अधिकारी मॉगरोल मे है उक्त पत्रावली मे इस न्यायालय के आदेशानसार कार्यवाही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था लेकिन अपीलांट ने मूल पत्रावली में तो कोई कार्यवाही नहीं की और रेस्पो० के पक्ष मे जो विधिनुसार इन्तकाल तस्दीक किया गया है उसकी अपील की है जो कानून के विरूद्ध है। यदि अपीलान्ट को अपील ही करनी थी तो माननीय न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महो० कोटा के निर्णय दिनांक 28/01/2015 के विरूद्ध करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा न करके अपीलांट ने जो अपील की है वह प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विधिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2023 पेज 191 रामजीलाल बनाम शिशुपाल वगैरह पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण संख्या 800/99 में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.1999 की पालना में प्रकरण में इंतकाल संख्या 440 दिनांक 01.07.2000 खोला जाकर तस्दीक किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के आदेश दिनांक 25.08.1999 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महो० कोटा में अपील संख्या 114/2012 पेश की जिसमें पारित निर्णय द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का आदेश दिनांक 25.08.1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये जिसकी पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपीलाधीन इंतकाल से राजस्व रिकार्ड की स्थिति पुनः बहाल की जाकर रेस्पो० के पक्ष मे इन्तकाल दर्ज किया गया। अपीलांट को न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को प्रेषित प्रकरण 1/2015 बउनवान कांतिबाई बनाम सरकार, जमनाबाई में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:07 IST
Reason: SelfAttested

1319 रकबा 0.07, खसरा नंबर 1320 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 132 रकबा